छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
बारनवापारा परियोजना मण्डल रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. के स्थापित डिपों से ईमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय की शर्तो को विनियमित करने वाले नियम :–

सर्व साधारण की जानकारी के लिये, एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार विभागीय रूप से काटी गई/संग्रहित की गई ईमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी तथा संग्रहित लकड़ी के कोयले के विभिन्न लाटो का विक्रय मण्डल प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., बारनवापारा परियोजना मण्डल द्वारा दिनांक ———— को ———— बजे आरंभ करते हुये और यदि आवश्यक हुआ तो अगले ———— दिनों को ———— बजे तक सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा ।

नीलाम के समय घोषित या अनुरोध पर पूर्व में उपलब्ध कराई गई ईमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी के कोयले के मापों, मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे मण्डल प्रबंधक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसारी सही हैं किन्तु उनकी किसी भी सीमा तक गारन्टी नहीं है इसलिये बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती हैं कि वे इस विषय में अपना समाधान करने की दृष्टि से लाट या उन लाटो का जिसके लिये/जिनके लिये वे बोली लगाना चाहते है। स्थल पर निरीक्षण कर लें । अनुरोध करने पर लाटों और मापों के ब्यौरे संबंधित मण्डल प्रबंधक, परियोजना परिक्षेत्राधिकारी/डिपों अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं, यदि बाद में मात्राओं आदि के ब्यौरे गलत पाये गये तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के विरूद्ध मुआवजे या किसी अन्य सहत्त के लिये कोई भी दावा नहीं होगा ।

1. (क) किसी भी व्यक्ति को नीलाम में किसी भी लाट के लिये बोली लगाने की अनुमति तक तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह उसकी शर्तो का पालन के करार के प्रति स्वरूप विक्रय सूचना पर अपने हस्ताक्षर न करें और प्रत्येक लाट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता हो उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1000 रू. इनमें से जो भी अधिक हो कि बयाने की राशि जमा न कर दें । बोली लगाने वालों को यह अनुमन्नि दी जा सकेगी कि यदि वह नीलाम के दौरान पहले ही जमा की गई 10 प्रतिशत राशि द्वारा अनुमति सीमा से अधिक की बोली लगाना चाहता हो तो बयाने की राशि में और राशि जमा कर सकें ।

   (ख) असफल बोली लगाने वालो के मामले में बयाने की जमा एकम नीलाम समाप्त होने पर उन्हे उसके लिये सम्यक रूप से टिकिट लगी रसीद देने पर वापिस लौटा दी जायेगी । सफल बोली लगाने वाले के मामले में यह राशि लाट के लिये बोली गई राशि के 25 प्रतिशत के भुगतान में जैसा कि निम्न लिखित शर्त (2) (क) के अधीन अपेक्षित हैं, समायोजित कर ली जायेगी ।

2. (क) (1) बोली स्वीकृत होने के तत्काल बाद या नीलामी की तारीख से 7 दिवस के भीतर (नीलामी की तारीख को छोड़कर) जो भी मण्डल प्रबंधक द्वारा स्वविवेक से अनुमति किया जावे सफल बोली लगाने वाले को ऐसी और रकम का, जिससे बोली की राशि की 25 प्रतिशत राशि पूरी हो जाए मांग जमा रसीद बैकर्स चैक द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किए गए रेखाकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो मण्डल प्रबंधक बारनवापारा परियोजना मण्डल के पक्ष में आहरित होगी । यदि सातवें दिन अवकाश रहता हैं तो अगले कार्य दिवस में राशि का भुगतान करना होगा । और ऐसा न करने पर

Scanned with CamScanner

विक्रय रद्द कर दिया जाएगा और उपयुक्त शर्त (क) के अधीन बयाने के रूप में जमा की गई राशि निगम के पक्ष में समपहृत हो जावेगा । और चूककर्ता बोली लगाने वाले की जोखिम के बिना लॉट की पुनः नीलाम की जावेगी ।'

(ख) दो उपयुक्त शर्त 2 (क) एक के अधीन विक्रय रद्द हो जाने की स्थिति में यदि चूककर्ता बोली लगाने वालो अनुकर्ता, नीलामी में लॉट के विक्रय के पूर्व विक्रय के पुनः प्रवर्तन का निवेदन करे तो क्षेत्रीय महाप्रबंधक यदि उसका इस बात से समाधान हो जाये कि बोली लगाने वाला उपयुक्त शर्त 2 (क) (1) के अधीन अपेक्षित अगली राशि का किसी समुचित तथा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कारण से निहित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था, तो वह संपूर्ण विक्रय मूल्य और साथ ही विक्रय में हुये विलंब की कालावधि के लिये उस पर ब्याज स्थान भाड़ा तथा विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय का पुनः प्रवर्तन कर सकेगा । उसके पश्चात इन शर्तो के विभिन्न खण्डों में दी गई विहित अवधियों तथा समय सीमाओं जो विक्रय को विनियमित करती हो की गणना नीलाम की तारीख से की जावेगी । वसूली योग्य ब्याज की दर तथा उसकी गणना की पद्धति को नीचे दी गई शर्त 2 (ख) (दो) में दिये अनुसार होगा स्थान भाड़ा नीचे दी गई शर्त 14 (क) के अनुसार वसूली योग्य होगा ।

2. (ख) (एक) बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि केता द्वारा बोली की मंजूरी की तारीख से मंजूरी की तारीख को छोड़कर जो मण्डल प्रबन्धक द्वारा उसे लिखित रूप से पंजीकित डाक से सूचित की जावेगी । 45 दिन के भीतर भुगतान की जावेगी तथापि अपवादित मामले में मण्डल प्रबंधक केता द्वारा निवेदन किये जाने पर बोली की शेष राशि की भुगतान की 45 दिन की इस अवधि को नीचे दी गई शर्त 2 (ख) (2) में दिये ब्यौरे के अनुसार ब्याज का भुगतान करने पर 75 दिनों तक बढ़ा सकेगी । (एवं यदि 45 वें या 75 वें दिन अवकाश रहता है मण्डल प्रबंधक अगले कार्यदिवस तक अवधि बढ़ा सकेगा) साथ ही यदि कोई आवेदन पत्र समय वृद्धि हेतु 45 वें दिन के अंदर या 45 वे दिन के शासकीय अवकाश होने के अगले कार्य दिवस तक प्राप्त नहीं होता है तो मण्डल प्रबंधक को उक्त दिवस के अगले दिनांक को विक्रय निरस्त करना बंधन कार्य होगा । बोली की शेष राशि का भुगतान मण्डल प्रबंधक की मांग जमा रसीद, बैंकर्स चेक द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किये गये रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो मण्डल प्रबंधक बारनवापारा परियोजना मण्डल के पक्ष में आहरित होगा, किया जावे ।

(ख) (दो) यदि बोली की शेष राशि का भुगतान मंजूरी की संसूचना तारीख 45 दिन के भीतर न किया जाये तो भुगतान न की गई शेष राशि से 46 वें दिन से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से या समय-समय पर पुर्नरीक्षित दर से ब्याज वसूल किया जावेगा । ब्याज की गणना के लिये 15 दिन या उससे कम दिन की अवधि की गणना आधे महिने के रूप में 15 दिनों से अधिक दिनों की गणना एक माह के रूप में की जावेगी ।

(ग) (प्रथम) उपयुक्त शर्त 2 (क) तथा (ख) के अधीन भुगतान योग्य रकम के अलावा मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994, 32, 94 (तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के उपबंधो के अनुसार वन विकास निगम द्वारा भुगतान योग्य वाणिज्यिक कर वन विकास उपकर तथा अन्य समस्त करों की वसूली विक्रय मूल्य सहित खरीददार से की जावेगी ।

(ग) (दो) फायनेंस एक्ट 1988 के नवीन प्रति स्थापित धारा 206 सी एवं 44 ए.सी. के प्रावधानों के अनुसार, जोकि 1 जून 1988 से प्रभावशील हैं खरीददारों से विक्रय मूल्य पर आयकर भी वसूल की जावेगी ।

(ग) (तीन) उपयुक्त शर्तो खण्ड (2) (क) तथा (ख) के अधीन विक्रय मूल्य की रकम को तब तक पूर्णत भुगतान होना नहीं माना जावेगा । जब तक उक्त उपखण्ड 2 (ग) (एक) एवं 2 (ग) (दो)के अधीन उस तारीख को भुगतान योग्य वाणिज्यिक कर आयकर का भी पूर्णत भुगतान न कर दिया गया हो ।

Scanned with CamScanner

(ग) (चार) क्रेता पश्चात्वर्ती दायित्वों के लिये भी यदि कोई हो जिनमें इन शर्तों के अधीन उसे बेचे गये माल पर वन विकास निगम द्वारा भुगतान योग्य वाणिज्यक कर एवं आयकर के अतिरिक्त राशियों का भुगतान भी शामिल हैं, उत्तरदायी होगा । ऐसा भुगतान मण्डल प्रबंधक द्वारा लिखित रूप से मांग की जाने पर 15 दिनों के भीतर करना होगा ।

3. किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित मुख्त्यार नामा जो सक्षम विधि न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो और जिसके द्वारा उसे कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो या उसे फर्म का जिसका भागीदार होनेका वह दावा करता है, पंजीयन प्रमाण पत्र मण्डल प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता ।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति मुख्त्यार नामा प्रस्तुत किये बिना बोली लगाना चाहता हैं तो मण्डल प्रबंधक बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कारणों से संतुष्ट होने पर उन्हें नीलामी पर बोली बोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दे सकेगा कि वह नीलामी की तिथी से एक सप्ताह के अंदर वांछित मुख्त्यार नाम प्रस्तुत करेगा । उक्त दी गई अवधि अर्थात एक सप्ताह की समाप्ति के पूर्व यदि वह मुख्त्यार नामा प्रस्तुत नहीं करता तो विक्रय रद्द किया जावेगा तथा शर्त कमांक–1 (क) के अधीन ब्याने के रूप में जमा की गई राशि निगम को समपहृत की जावेगी और चूक कर्त्ता बोली दर की जोखिम के बिना लाट की पुन: नीलामी की जावेगी ।

4. कोई भी व्यक्ति जिसे वन ठेके में बोली लगाने के लिये प्रतिबंधित किया गया हो या वर्जित किया गया हो ऐसा प्रतिबंध लागू होने तक नीलामी में बोली नहीं लगायेगा ।

5. मण्डल प्रबंधक की लिखित अनुमति को छोड़ ऐसे कोई भी व्यक्ति जिस पर किसी वन ठेके के कारण या उसके अधीन शासन/निगम का धन बाकी हो, नीलामी में बोली नहीं लगायेगा ।

6. मण्डल प्रबंधक प्रत्येक लाट के लिये कोई आरक्षित मूल्य आरक्षित कर सकेगा और किसी भी लाट को नीलाम से हटा सकेगा, परन्तु जब जबकि बोली ऐसे आरक्षित मूल्य से कम हो ।

7. मण्डल प्रबंधक पूर्ववर्ती बोली पर प्रत्येक अग्रिम की न्यूनतम रकम निश्चित कर सकेगा और बोली के दौरान समय–समय पर इस प्रकार निश्चित की गई रकम को परिवर्तित कर सकेगा । बोली के समय उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम अंविवादस्पद बोली पर बोली फिर से तत्काल प्रारंभ की जावेगी ।

8. मण्डल प्रबंधक को कोई कारण बताये बिना निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार होगा –

क. नीलाम की किसी भी अवस्था में किसी व्यक्ति को बोली लगाने से रोक देने का ।

ख. सबसे ऊंची या किसी भी बोली को अस्वीकार्य करने का ।

ग. सबसे ऊंची या किसी भी बोली को स्वीकार करने का तथा किसी भी अवस्था में किसी भी लाट की नीलाम से वापस ले लेने का, भले ही बोली लगाने वाले उसे खरीदने के लिये तैयार हो ।

9. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति उसकी बोली स्वीकार कर लिये जाने के बाद, उसी पक्ष में बोली समाप्त किये गये लाट के संबंध में बोली पत्रक पर हस्ताक्षर करेगा । तथा मण्डल प्रबंधक को अपना डाक का पता लिखित रूप में देगा, जिस पर उससे पत्र व्यवहार किया जा सके इसी प्रकार उसके पते में हुये किसी भी परिवर्तन की सूचना उसके द्वारा उस अधिकारी को दी जावेगी । उसी पते पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई सूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह सम्यक रूप से सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति को पहुंच गई है ।

Scanned with CamScanner

10. मण्डल प्रबन्धक की मंजूरी की क्षमता से परे के ठेको के विक्रय संक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन होंगे तथा सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी बोली द्वारा तब तक आबाद रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित न किये जायें ।

11. सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति जिसकी बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, केता होगा ।

12. (क) यदि विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि तथा साथ ही उपयुक्त शर्त 2 (ख) तथा (ग) के अनुसार वन विकास निगम द्वारा भुगतान योग्य वाणिज्यिक कर एवं आयकर की राशि के बदले में भुगतान योग्य राशि का भुगतान न किया जावे, तो विक्रय रद्द कर दिया जावेगा तथा स्वीकृत बोली मूल्य का 25 प्रतिशत निगम को समपहृत हो जायेगा । व्यक्ति क्रय कर्ता को तीन वर्षो की कालवधि के लिये काली सूची में दर्ज भी किया जा सकेगा । लाट् का नीलाम व्यक्ति क्रय कर्ता की जोखिम के बिना पुनः किया जायेगा ।

(ख) यदि बोली की रकम की शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान न करने के कारण विक्रय रद्द कर दिया हो और अगले उच्चतर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाये कि समुचित और पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य कारणों से जो लेखबद्ध किये जावेगे केता विहित समय सीमा के भीतर उस राशि का भुगतान करने में असमर्थ था तो ऐसा प्राधिकारी समस्त देय रकमों के पूर्व भुगतान और विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा ।

13. (क) बेची गई ईमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयले को हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी जब तब कि उपयुक्त शर्त क. 2 के अनुसार पूर्ण भुगतान और जहां आवश्यक हो वहां नीचे की शर्त 14 के अधीन स्थान भाड़ा तथा निगम को पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो लाट्–लॉटों को हटाने की अनुमति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नहीं दी जायेगी ।

डिपों में इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बनाये गये द्वार से ईमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला के जाने की अनुमति दी जायेगी, जहां इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला निरीक्षण के लिये तथा लकड़ी उस पर निकासी हेमर चिन्ह लगाने के लिये प्रस्तुत की जावेगी ।

(ख) बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयले का परिदान लेते समय केता उसके लिये रसीद देगा ।

(ग) डिपो से हटायी जाने वाली समस्त ईमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी/कोयला संबंधित डिपो अधिकारी/परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी से इस प्रयोजन के लिये प्राप्त किये जाने वाले सम्यक रूप से निहित परिवहन अनुज्ञा पत्र (परमिट) के अन्तर्गत होगी ।

(घ) केता डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला को हटाने के दौरान डिपो परिसर के भवन, फिक्चर्स तथा फिटिंग्स वनोपज अथवा यहां खडे किसी वृक्ष या पौधो को होने वाले हानि या क्षति यदि कोई हो, को पूरा करने के लिये उत्तरदायी होगा । ऐसी हानि या क्षति का मुल्यांकन, जो कि मण्डल प्रबंधक द्वारा किया जावेगा, अंतिम होगा और केता पर बंधनकारी होगा ।

14.(क) यदि बेची गई ईमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला उपयुक्त शर्त क. 2 (ख) (एक) के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से 2 माह के भीतर डिपो से नहीं हटाया जाता तो मण्डल प्रबन्धक द्वारा निम्नानुसार स्थान भाड़ा वसूल किया जावेगा ।

प्रतिदिन

5.00 ←1. इमारती लकड़ी – रू 0.50 प्रतिदिन प्रति घनमीटर

25.00 ←2. जलाऊ लकड़ी – रू. 2.50 प्रति स्टेंडर्ड माप का चट्टा प्रति माह ।

3. कोयला रू. 0.50 प्रति बोरा प्रति माह ।

Scanned with CamScanner

जलाऊ लकड़ी/कोयला के लिये भूमि भाड़ा की गणना के लिये 15 दिन या उससे कम की अवधि की गणना आधे महिने के रूप में एवं 15 दिन से अधिक किन्तु एक माह से कम की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जावेगी । मंजूरी की संसूचना की तारीख से दो महिने की अवधि समाप्ति के पश्चात स्थान भाड़ा की संगणना की जावेगी ।

तथापि अपवादिक मामलों में मण्डल प्रबन्धक अपने स्वाविवेक से, स्थान भाड़े की वसूली के किए बिना, मंजूरी की सूचना की तारीख से चार माह की अधिकतम अवधि में, डिपो से बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला हटाने की अनुमति दे सकेगा। बशर्ते कि लॉट् की नीलामी के समय ऐसी घोषणा की गई हो और बोली पत्रक अभिलिखित कि गई हो ।

(ख) डिपो से बेची गई तथा ख़रीदी गई समस्त इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयले मंजूरी की संसूचना की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर हटाया जावेगा । कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई केता, जिसने पहले ही पूर्ण राशि का भुगतान कर लिए हो, उपयुक्त अवधि के भीतर इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला हटाये जाने की स्थिति में न हो तो उसे स्थान भाड़ा का भुगतान करने पर मंजूरी की सूचना मिलने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर अन्य स्टोर की अनुमति प्रदान की जा सकेगी । चार माह की अवधि हो जाने पर केता को केवल अपवादिक मामलो में, क्षेत्रीय महाप्रबंधक रायपुर की विशेष अनुज्ञा से जो स्थान भाड़ा के अतिरिक्त न हटाई गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला के विक्रय मूल्य के 10 प्रतिशत से अनाधिक शास्ति उदग्रहित कर सकेगा । इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला हटाने की अनुमति दी जा सकेगी ।

चार माह की अवधि या ऐसे अवधि जो क्षेत्रीय महाप्रबंधक रायपुर द्वारा बढ़ाई हो के समाप्त हो जाने के पश्चात इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला यदि न हटाया गया हो तो वह विक्रय मूल्य सहित निगम को समपृहत हो जावेगा । तथा उसे नीलाम के द्वारा बेच दिया जावेगा । और मूल केता को उसके संबंध में दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

15. वन विकास निगम विक्रय की गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयले की किसी भी प्रकार की क्षति और हानि के लिये और आग, चोरी, दुविनियोग या अन्य दुर्घटना, जिस भी किसी कारण से हुई हानि के लिये किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा । विक्रय के बाद डिपो में रख गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला पूर्णत: केता की जोखिम पर रहेगा ।

16. (क) वन मार्गो पर ट्रक या अन्य भारी वाहनों के चलाने के लिये मण्डल प्रबंधक से निम्नलिखित दर पर मार्ग अनुज्ञा पत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा ।

1. रू. 250/– प्रति तिमाही प्रति वाहन, अथवा
2. रू. 10/– प्रति वाहन, एक तरफ की एक खेप के लिये ।

(ख) तिमाही की अवधि की गणना निम्नानुसार की जायेगी :–

1. प्रथम तिमाही 1 अप्रैल से 30 जून
2. द्वितीय तिमाही 1 जुलाई से 30 सितम्बर
3. तृतीय तिमाही 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर
4. चतुर्थ तिमाही 1 जनवरी से 31 मार्च

Scanned with CamScanner

17. बोली लगाने की कार्यवाही को इन शर्तों की पूर्ण और बिना शर्त स्वीकृत समझा जावेगा ।

18. मध्य प्रदेश राज्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 , भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, जिसमें वन संविदा (कान्ट्रेक्ट) नियम शामिल है जहां तक वे लागू हो, सफल बोली लगाने वाले क्रेता पर विक्रय की शर्तों के रूप में लागू होंगे ।

19. इन शर्तों के अधीन बोली लगाने वाले से किसी भी कारण से वसूली योग्य कोई राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी ।

20. ऐसे किसी भी बोली लगाने वाले व्यक्ति या उसके किसी एजेन्ट या नौकर को, जो नीलामी की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक शांति या प्रशांति की में बाधिक ~~बाधा~~ हो या वन अधिकारी के सार्वजनिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता हो या रोकता हो, नीलामी विक्रय में भाग लेने से वर्जित किया जा सकेगा । और उसके द्वारा किसी लॉट् के संबंध में जमा की गई बयाने की राशि, यदि कोई हो तो, ~~मध्यप्रदेश~~ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को समपृहत हो जावेगी । इसके अतिरिक्त उसका नाम 3 वर्ष की अवधि के लिये काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा ।

21. इन शर्तो से उत्पन्न समस्त विवाद छत्तीसगढ़ के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होगें ।

मण्डल प्रबंधक
बारनवापारा परियोजना मण्डल
रायपुर

हस्ताक्षर केता

Scanned with CamScanner